न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 79/2019

प्रार्थीगण :—	बनाम	अप्रार्थीगण :—
1 भंवरलाल पुत्र रामाराम जाति सीरवी नि0 बिलावास तह0 सोजत	1	हेमाराम पुत्र रामाराम जाति सीरवी नि0 बिलावास तह सोजत जिला पाली।
	2	तहसीलदार, (भूमिधारक) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांकः 06.06.2022

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 का विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि सरहद मौजा बिलावास प0ह0 बिलावास, खाता संख्या 1397 खसरा नंबर 1636 2059, 2087, 2089 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.9800 किस्म चा0प्र0जा0अ0बंजड़ व खाता संख्या 950 खसरा नंबर 2044, 2050, 2057, 2058, 2082, 2232 कुल खसरा 06 कुल रकबा 1.1800 चा0प्र0जा0अ0,बंजड़ तथा ग्राम हिंगावास खाता संख्या 252 खसरा 1329 रकबा 1.3900 है0 बा0अ0 उक्त आराजी कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2–1/2 हक हिस्सा की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि स्थित है। जिस कृषि भूमि पर प्रार्थी माफिक हक हिस्सा अनुसार बतौर खातेदार शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी बाधा एवं अवरोध के काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी रेकर्डेड खातेदार काबिज काश्त है। प्राथ्र्म एवं अप्रार्थी संख्या 1 दोनो सगे भाई है। प्रार्थ अपने व्यापार के सिलसिले में बैंगलोर निवास कर रहा है। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 अपने मर्जी माफिक भूमि पर काश्त करता है तथा पीछे जो भूमि प्रार्थी के छोड़ता है उस पर प्रार्थी काश्त करता है। उक्त वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी दर्ज होने से प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के बीच धोरा पाली एवं माठो को लेकर वाद विवाद होता रहता हैं। वादस्थ आराजीयात का बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस किया हुआ नही होने से प्रार्थी अपने हक हिस्से की वादस्थ भूमि पर काश्त करने में भारी कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी द्वारा वादस्थ आराजीयात कृषि भूमि का बंटवाड़ा अप्रार्थी से करवाने हेतु निवेदन करने के बावंजूद भी बंटवाडा करवाने से इंकार कर देने के कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है तथा सहूलियत का पलड़ा भी प्रार्थी के पक्ष में है। अप्रार्थीगण नाजायज तरीके से प्रार्थी के हक हिस्सा की कृषि भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमदा है तथा उकत कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण कर खुर्दबुर्द करने पर आमदा हैं। यदि अप्रार्थीगण उक्त नाजायज कृत्य करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों में नही आंका जा सकेगा। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिए पाबंद किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्यायासंगत हैं। अप्रार्थी प्रार्थी के हक हिस्से सहित कृषि भूमि को किसी अन्य को बेचान, हस्तानान्तरण, बक्शीश, रहन, वसीयत आदि कर देते है, तो प्रार्थी को अपूर्ण क्षति होगी, जिसका मुल्यांकन कदापि रूपयों में नही आका जा सकता है, इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किये जाने की ईशतदुआ की है। अधिवक्ता अप्रार्थी निरन्तर अनुपस्थित रहने से जबाब का अवसर समाप्त कर जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

बहस अधिवक्ता प्रार्थी, सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस के दौरान निवेदन किया है कि अप्रार्थी नाजायज तरीके से प्रार्थी के हक हिस्सा की कृषि भूमि से प्रार्थी को बेदखल करने पर आमदा है तथा उकत कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण कर खुर्दबुर्द करने पर आमदा हैं। यदि अप्रार्थीगण उक्त नाजायज कृत्य करने में सफल हो जाते है तो प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन कदापि रूपयों में नही आंका जा सकेगा। जिसे जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाकर पाबन्द किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं फहरिस्त मय दस्तावेजात, का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस प्रा0 पत्र अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः मूल वाद विभाजन का है। लिहाजा वाद निर्णय तक मौके की यथा स्थिति बनाये रखने व किसी भी विशिष्ठ भू भाग का बैचान करने से उभय पक्षों को रोका जाना उचित समझते है।

–: <u>आदेश</u> :–

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की सादिर की जाती है सरहद मौजा बिलावास प0ह0 बिलावास, खाता संख्या 1397 खसरा नंबर 1636 2059, 2087, 2089 कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.9800 किस्म चा0प्र0जा0अ0बंजड़ व खाता संख्या 950 खसरा नंबर 2044, 2050, 2057, 2058, 2082, 2232 कुल खसरा 06 कुल रकबा 1.1800 चा0प्र0जा0अ0,बंजड़ तथा ग्राम हिंगावास खाता संख्या 252 खसरा 1329 रकबा 1.3900 है0 बा0अ0 की कृषि भूमि की वर्तमान राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति **(Status Quo)** बनाये रखने तथा विशिष्ठ भू भाग का बेचान नही करने हेतु उभयपक्षों को वाद निर्णय तक पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत